

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./एफ-1465/2019/81

दिनांक : 30-01-19

आदेश

श्री अशोक कुमार पाराशर, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुष्कर (अजमेर) जिनकी जन्म तिथि 15.07.1959 है तथा राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 20.05.1983 है को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राज0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अनुसरण में दिनांक 01.02.2019 से ~~स्वेच्छिक~~ सेवानिवृति प्रदान की जाती है। दिनांक 01.02.2019 इनका अकार्य दिवस होगा। इनके विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

उक्त आदेश प्रशासनिक विभाग की आई.डी. क्रमांक 328 दिनांक 18.01.2019 के अनुसरण में जारी किया जा रहा है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये  
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./एफ-1465/2019/81

दिनांक : 30-01-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये जोन-अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुष्कर (अजमेर)।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. श्री अशोक कुमार पाराशर, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारीयो के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये  
राज0 जयपुर